

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, हरदोई ।

निविदा/टेण्डर सूचना

जनपद न्यायालय हरदोई में प्रशासनिक कार्यालय तथा अभिलेखागार हेतु एक एक फोटो कांपी मशीन मय स्कैनर क्रय किया जाना है। माननीय जनपद न्यायाधीश, हरदोई के आदेशानुसार फोटो कांपी मशीन मय स्कैनर के क्रय किये जाने हेतु प्रतिष्ठित एवं पंजीकृत फर्मों से निविदा आमन्त्रित की जानी है।

अतः प्रतिष्ठित एवं पंजीकृत फर्मों से दिनांक 21.06.2019 के सायं 4-00 बजे तक निविदा आमन्त्रित किये जाते हैं। पंजीकृत फर्मों के प्रतिनिधि नियम/शर्तों के साथ निविदा/टेण्डर उपरोक्त तिथि तक प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त निविदा/टेण्डर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को स्वीकृति एवं बजट आवंटन हेतु प्रेषित किये जायेंगे तथा स्वीकृति तथा बजट आवंटन के पश्चात फोटो कांपी मशीन मय स्कैनर क्रय की जायेगी।

दिनांक 21.06.2019 की सायं 4-00 बजे तक प्राप्त होने वाली सभी निविदा/टेण्डर दिनांक 21.06.2019 की सायं 4-30 बजे क्रय समिति के समक्ष खोले जायेंगे। निविदा/टेण्डर खोले जाने के समय उन्हें प्रस्तुत करने वाले फर्मों/कम्पनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। क्रय किये जाने हेतु फोटो कांपी मशीन मय स्कैनर की विशिष्टियां एवं विवरण निम्नवत्

हैं:-

1- कम्पनी का नाम : जिराक्श (Xerox)

2- मांडल नम्बर : B 1022

फोटो कांपी मशीन मय स्कैनर हेतु निविदा/टेण्डर निम्न शर्तों के अधीन प्राप्त किये जायेंगे:-

- 1- निविदा/टेण्डर देने वाली फर्म का व्यापार कर कार्यालय में पंजीकरण होना अनिवार्य है।
- 2- निविदा/टेण्डर देने वाली फर्म द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले फोटो कांपी मशीन मय स्कैनर का पूर्ण विवरण एवं विक्रय पश्चात सेवाओं का विवरण संलग्न करना अनिवार्य है।
- 3- निविदा/टेण्डर देने वाली फर्म अपने निविदा के साथ आपूर्ति किये जाने वाले फोटो कांपी मशीन मय स्कैनर के सर्विस सेन्टर की सूची का संलग्न किया जाना आवश्यक है।
- 4- निविदा/टेण्डर दाताओं को अपनी निविदा/टेण्डर के साथ जी0एस0टी0 नम्बर, पैन/टैन नम्बर विगत तीन वर्षों के आयकर रिटर्न एवं अपने फर्म के पंजीकरण का विवरण संलग्न करना आवश्यक है।
- 5- निविदा/टेण्डर के साथ अंकन 20,000/- (बीस हजार) रुपये का बैंक ड्राफ्ट/चेक जनपद न्यायाधीश, हरदोई के पक्ष में धरोहर राशि के रूप में संलग्न करना अनिवार्य है।
- 6- माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से स्वीकृति एवं बजट प्राप्त होने के उपरान्त ही फोटो कांपी मशीन मय स्कैनर को क्रय किया जायेगा एवं भुगतान किया जायेगा।
- 7- फोटो कांपी मशीन मय स्कैनर की आपूर्ति निविदा/टेण्डर स्वीकृत होने वाली फर्म द्वारा जनपद न्यायालय हरदोई में किया जायेगा और इस निमित्त पृथक रूप से कोई भी शुल्क देय नहीं होगा।
- 8- स्वीकृतकर्ता अधिकारी (जनपद न्यायाधीश हरदोई) को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा/टेण्डर को बिना कारण बताये निरस्त कर सकते हैं।

दिनांक:

(अखिलेश कुमार पाण्डेय)

अध्यक्ष, क्रय समिति/प्रधान न्यायाधीश,
पारिवारिक न्यायालय हरदोई।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु

- 1-नोटिस बोर्ड, जनपद न्यायालय, हरदोई।
- 2-नोटिस बोर्ड, जिलाधिकारी, हरदोई।
- 3-नोटिस बोर्ड, समस्त तहसीलदार, हरदोई।
- 4-अधिशाषी अभियन्ता, नगर पालिका परिषद, हरदोई।
- 5-समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु जिला सूचना अधिकारी, हरदोई।
- 6-प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर जनपद न्यायालय हरदोई को इस जनपद एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।